i-NEXT PAGE 2

सुरक्षित रहेगा सात जन्मों का ये बंधन

GOOD NEWS

लखनऊ यूनिवर्सिटी अब वैवाहिक मामलों को भी निपटाएगी

लॉ संकाय में काउंसिलिंग केंद्र स्थापित

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (6 Feb): लखनऊ यूनिवर्सिटी में वैवाहिक मामलों के निपटारे के लिए केन्द्र की स्थापना की गई है. जिसके अन्तर्गत वैवाहिक मामलों को जल्द से जल्द निपटारे के लिए पक्षकारों को मदद के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं की जानकारी फ्री दी जाएगी. इस बारे में यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह ने बताया कि शासन की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अन्तर्गत इस केन्द्र की स्थापना की गयी है. जिसके अन्तर्गत वैवाहिक मामलों को निपटाने के लिए मध्यस्थता की जाएगी. वहीं पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वैवाहिक मामलों के

रोज चार से पांच मामलों की सुनवाई

इस केन्द्र पर प्रतिदिन कार्यदिवस में 4 बजे से 5 बजे के दौरान विवाद के पक्षकारों को निशुल्क सहायता प्रदान करेगा जिसके अन्तर्गत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उतराधिकार इत्यादि मामलों में लॉक परामर्श दिया जाएगा. प्रो. राकेश ने बताया कि सेंटर में मुख्य रूप से विवाद के पक्षकारों को कानूनी जानकारी, कोर्ट की प्रक्रिया, वकीलों की सहायता से संबंधित कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं.

कोरोना काल में परिवारों के बीच आपसी विवादों मे हुआ है पहले की तुलना में इजाफा

विवादों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी खासतौर से विगत दो सालों से कोविड-19 के कारण इस मामलों में और भी बृद्धि हुई है, सामान्य न्यायालय इस तरह के मामलों के निपटाने में विफल रही है. इसी कारण से प्रत्येक जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गयी है.

जानकारी गोपनीय

विवाद से संबंधित पक्षकारों की जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. कोई भी व्यक्ति इस सेंटर की मदद ले सकता है और अपने वैवाहिक मामलों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकता है. पक्षकार चाहे तो ईमेल के द्वारा या मोबाइल के द्वारा भी लॉक जानकारी प्रापत कर सकते है. यह सारे कार्य फ्री किए जाते हैं.

हजारों मामले लंबित

प्रदेश में इस प्रकार की 189 कोर्ट कार्य कर रही है. जिसमें लगभग 10000 से ज्यादा मामलें लंबित हैं. वैवाहिक मामलों का निपटारा सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त मध्यस्थता, काउंसलिग, सुलह-समझौता, पंचाटों का गठन का सहारा लिया जा सकता है. वैवाहिक पक्षकारों को कोर्ट का सामना करने की नौबत ही न आये इसके लिए ही इसके अतिरिक्त विकल्पों पर शोध करने के लिए विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है.

HINDUSTAN PAGE 5

स्कूल-कॉलेज आज से खुलेंगे हॉस्टल पर अभी फैसला नहीं

आदेश

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

कोरोना के कारण बंद लखनऊ विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कॉलेजों में सोमवार से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शासन से निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ विवि कुलसचिव डॉ. विनोद सिंह ने इसके निर्देश जारी कर दिए। हाल में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए छात्रावास खोलने को लेकर फैसला आज होगा।

सोमवार से विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार के पालन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। परिसरों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा और सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों से अपने कार्यालयों और विभागों में सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा गया है। डीएम की ओर से शासन से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल-कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस अमरकांत सिंह का कहना है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

परीक्षाएं भी ऑफलाइनः विश्वविद्यालय में 17 फरवरी से पीजी सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये भी ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। हालांकि छात्र लगातार ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश भेज दिए हैं कि वे अपनी सुविधा से ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षाओं का निर्णय ले सकते हैं। सभी विवि को इस पर निर्णय लेने को कह दिया गया है।

17 फरवरी से विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही हैं

07 फरवरी से स्कूल-कॉलेज खोलने के आदेश,नियमों का पालन जरूरी

एकेटीयू में अभी परीक्षाओं पर असमंजस

शासन से जारी निर्देशों के अनुपालन में एकेटीयू भी जल्द ही भौतिक कक्षाएं शुरू करेगा। हालांकि विवि प्रशासन का कहना है कि चूंकि यहां कॉलेजों और छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए अभी कुछ दिशा-निर्देशों पर निर्णय लिया जाना बाकी है। इसके अलावा मार्च में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, यह भी परिस्थितियां देखकर तय किया जाएगा।

NBT PAGE 6

वैवाहिक मामलों के निपटारे के लिए एलयू में बना केंद्र

■ एनबीटी, लखनऊः लखनऊ यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में वैवाहिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए केंद्र की स्थापना की गई है। इसके तहत वैवाहिक मामलों के पक्षकारों को विधिक मदद के साथ उनको तकनीकी पहलुओं की जानकारी निशुल्क दी जाएगी। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सीपी सिंह ने बताया कि उप्र शासन की ओर से सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तहत इस केंद्र की स्थापना की गई है। इसके तहत वैवाहिक मामलों को निपटाने के लिए मध्यस्थता की जाएगी।

PIONEER PAGE 3

अब लखनऊ विश्वविद्यालय दूर करेगा वैवाहिक सम्बन्धों में आई खटास

● विधि संकाय में काउंसलिंग केन्द्र स्थापित, हर दिन शाम 4 से 5 बजे तक होगी सुनवाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आने वाले दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय वैवाहिक संबंधों में आई कड़ुवाहट को कम करने की दिशा में प्रयास करेगा। जिससे पक्षकारों को कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए विवि में एक मीडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। मिडिएशन सेंटर के जरिये पक्षकारों को विधिक मदद के साथ.साथ उनको तकनीकी पहलुओं की जानकारी निशुल्क दी जायेगी।

विश्वविद्यालय के विधि संकायाध्यक्ष प्रोफेसर सीपी सिंह ने बताया कि शासन की ओर से सेंटर आफएक्सीलेंस के अन्तर्गत इस केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत वैवाहिक मामलों को निपटाने के लिए मध्यस्थता की जायेगी। वहीं पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वैवाहिक मामलों के विवादों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी खासतौर से विगत दो सालों से कोविड 19 के कारण इस मामलों में और भी वृद्धि हुई है। सामान्य न्यायालय इस तरह के मामलों के निपटाने में विफ्ल रही है। इसी कारण से प्रत्येक जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार के 189 कोर्ट कार्य कर रही है। जिसमें भी लगभग 10000 से ज्यादा मामलें लम्बित है। वैवाहिक मामलों का निपटारा सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त मध्यस्थता, काउंसलिग, सुलह. समझौता, पंचाटों का गठन का सहारा लिया जा सकता है।

वैवाहिक पक्षकारों को कोर्ट का सामना करने की नौबत ही न आये इसके लिए ही इसके अतिरिक्त विकल्पों पर शोध करने के लिए विभाग को सेंटर आफ एक्सीलेंस दिया गया है। प्रो सीपी सिंह ने बताया कि इस केन्द्र पर प्रतिदिन कार्यदिवस में 4 बजे से 5 बजे के दौरान विवाद के पक्षकारों को निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अन्तर्गत विवाहए विवाह. विच्छेद, भरण.पोषण, उत्तराधिकार इत्यादि मामलों में विधिक परामर्श दिया जायेगा। विवाद से संबंधित पक्षकारों की जानकारियॉ पूरी तरह से गोपनीय रखी जायेंगी।

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

एक महीने बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और सहयुक्त कॉलेजों में लगेगी ऑफलाइन क्लास

लखनऊ। कोरोना के कारण लगभग एक महीने से बंद चल रहे कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सोमवार से ऑफलाइन पठन-पाठन शुरू होगा। वहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्थगित की गई विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। अन्य निजी विश्वविद्यालयों में भी स्थगित परीक्षाएं जल्द प्रस्तावित की जाएंगी।

लविवि व सहयुक्त महाविद्यालयों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 10 जनवरी से ऑनलाइन क्लास शुरू की गई थी। इसे छह फरवरी तक बढ़ाया गया। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद शासन से मिले निर्देश के क्रम में विवि प्रशासन ने सोमवार से ऑफलाइन क्लास आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार डॉ. विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार विवि व सहयुक्त महाविद्यालय सात फरवरी से खोले जा रहे हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय में परास्नातक कोर्सों की परीक्षाएं 17 फरवरी से ऑफलाइन प्रस्तावित कर दी गई हैं। जल्द ही स्नातक कोर्सों का भी परीक्षा कार्यक्रम रि-शेड्यूल करके जारी किया जाएगा। (माई सिटी रिपोर्टर)

छात्रावास पर निर्णय आज

अभी छात्रावास खोलने को लेकर निर्देश नहीं जारी हुए हैं। जिसे लेकर विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बारे में सोमवार को निर्णय किया जाएगा।

दो दिवसीय संगोष्ठी आज से

लखनऊ। लखनऊ विवि के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 'ग्रामीण औद्योगीकरण : उत्तर प्रदेश में आर्थिक प्रगति के लिए एक प्रभावी माध्यम' पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 7-8 फरवरी को ऑनलाइन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से आयोजित उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मनीष सिन्हा महाप्रबंधक सिडबी होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रो. गितिले नैतुली केन्या हैं। अध्यक्षता लविवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय करेंगे। (माई सिटी रिपोर्टर)

लविवि : वैवाहिक मामलों के निस्तारण के लिए केंद्र शुरू

लखनऊ। लखनऊ विवि के विधि संकाय ने वैवाहिक मामलों के जल्द निस्तारण के लिए केंद्र की स्थापना की है, जहां वैवाहिक विवाद के मामलों में पक्षकारों को विधिक मदद के साथ तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। शासन द्वारा मिले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोजेक्ट के तहत इस केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए तीन लाख रुपये की ग्रांट दी गई है।

विधि विभाग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत की स्थापना

प्रोजेक्ट समन्वयक पूर्व डीन प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वैवाहिक मामलों (पति-पत्नी) के बीच विवादों में काफी वृद्धि, खासतौर से गत दो सालों में कोविड-19 के कारण इस मामलों में और भी वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी 189 कोर्ट काम कर रही हैं। इसमें भी 10 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में इस केंद्र का महत्व और बढ़ जाता हैं। इस तरह के मामलों का निपटारा सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त मध्यस्थता, काउंसिलिंग और सुलह-समझौता के द्वारा किया जा सकता है। यह सेंटर प्रत्येक कार्य दिवस में शाम 4 से 5 बजे के दौरान ऐसे लोगों को निःशुल्क सहायता देगा। यहां पक्षकारों की जानकारी गोपनीय रहेगी। कोई भी व्यक्ति मदद ले सकता है। (माई सिटी रिपोर्टर)

SWATANTRA BHARAT PAGE 4

अब लखनऊ विश्वविद्यालय सुलझाएगा वैवाहिक विवाद

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ।

लखनऊ विश्वविद्यालय वैवाहिक मामलों के विवाद शीघ्र निपटारे भी करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के विधि संकाय में एक केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पक्षकारों को विधिक मदद के साथ-साथ उनको तकनीकी पहलुओं की जानकारी निशुल्क दी जाएगी। रविवार को आनलाइन माध्यम से मधुसूदन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कमलजीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सीपी सिंह ने बताया कि शासन की ओर से दिए गए सेंटर आफ एक्सीलेंस के अंतर्गत हाल ही में इस केंद्र की स्थापना की गयी है, जिसमें वैवाहिक मामलोंको निपटाने के लिए मध्यस्थता की जाएगी। प्रधान अन्वेषक एवं पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दो साल से कोविड-19 के कारण वैवाहिक मामलों के विवादों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। सामान्य न्यायालय इस तरह के मामलों के निपटाने में विफल रही है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार के 189 कोर्ट कार्य कर रही हैं, जिसमें भी लगभग 10000 से ज्यादा मामले लंबित हैं।

रोज चार से पांच बजे तक होगी सुनवाई = वैवाहिक पक्षकारों को कोर्ट का सामना करने की नौबत ही न आए, इसके लिए ही विभाग को सेंटर आफ एक्सीलेंस दिया गया है। यह केंद्र प्रतिदिन कार्यदिवस में 4 बजे से 5 बजे के दौरान विवाद के पक्षकारों को निशुल्क सहायता प्रदान करेगा। इसमें विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि मामलों में विधिक परामर्श दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस केंद्र की मदद ले सकता है। कार्यक्रम में देवरिया के न्यायाधीश मनोज मिश्रा, अतिरिक्त न्यायाधीश लखीमपुर पवन शुक्ला और अतिरिक्त न्यायाधीश राजेश्वरी टोलिया ने अपने विचार व्यक्त किये।

THE PIONEER PAGE 3

Lucknow University signs 3 MoUs

PNS ■ LUCKNOW

Lucknow University Vice-Chancellor AK Rai expressed satisfaction that they are now moving fast towards collaboration not only with international UN Academic Organisation but also joining hands with the institutes that will help them incubate, innovate and market products useful for the society.

CERCE, under United Nations University, signed an MoU with the Institute of Wildlife Sciences for collaboration in teaching, research and training. A training programme for students from Australia is proposed in April.

Biotech Park signed an MoU with the Institute of Pharmaceutical Sciences. "Biotech Park has huge infrastructure and state-of-the-art instruments which can be used for research by students of the university. The park is going to help in innovation incubation and formulations which will be useful," the VC said.

The institute also signed an MoU with Life Care Innovation Private Limited, headed by Vigyan Ratna Jitendra N Verma. This institute will support research innovation clinical trials and final marketing of scientific technological research.

Meanwhile, the department of Applied Economics, University of Lucknow, is organising a two-day international seminar under the Centre of Excellence on 'Rural industrialisation: An effective channel for economic progress in Uttar Pradesh' under the patronage of VC AK Rai.

The conference is scheduled under the convenorship of Rachna Mujoo and organising secretary Dr Anoop Kumar Singh on February 7 and 8. The chief guest and keynote speaker at the inaugural session will be general manager of SIDBI Manish Sinha while the special guest will be Gitile Naituli from the Faculty of Business and Law, Multimedia University of Kenya.

AMRIT VICHAR PAGE 3

कैम्पस आज से खुलेगा, हॉस्टल पर आज होगा निर्णय

लखनऊ विश्वविद्यालय व महाविद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। इस दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी। शासन का आदेश आने के बाद रविवार को कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने कालेजों को पत्र जारी कर दिया। हालांकि, हॉस्टल खोलने के संबंध में सोमवार को निर्णय लिया जाएगा।